राजस्थान सरकार
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक: NRHM/RCH-II/JSY/08/ 164 दिनांक: 18.2.08

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला.................................

विषयः– जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार की प्रसूता को प्रसव से 8–12 सप्ताह पूर्व 500/– रूपये की नकद राशि दिये जाने के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन संख्या 196/2001 में दिनांक 20.11.2007 को दिये गये निर्णयानुसार बीपीएल परिवार की सभी प्रसूताओं को प्रत्येक प्रसव से 8–12 सप्ताह पूर्व पोषण एवं आहार हेतु 500/– की राशि का भुगतान चैक द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें। इस हेतु बी.पी.एल. परिवार की प्रसूताओं को योजना का लाभ दिये जाने हेतु बच्चों की संख्या व उम्र की कोई बाध्यता नही रखी गई है। बी.पी.एल. परिवार की प्रसूताओं को सस्थागत प्रसव होने पर जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली राशि में से उक्त 500 रूपये की राशि कम कर शेष राशि का भुगतान कर दिया जावे। साथ ही बी.पी.एल. परिवारों के अधिक से अधिक संस्थागत प्रसव कराये जाने के प्रयास किये जाये। जननी सुरक्षा योजना की क्रियान्विती वर्तमान में जारी दिशा–निर्देशानुसार जारी रखी जाये।

(आर. के. मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक: NRHM/RCH-II/JSY 08 165-71 दिनांक: 18/2/08

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

1. निजी सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
3. शासन सचिव (प.क.) एवं मिशन निदेशक–एनआरएचएम, राजस्थान, जयपुर
4. समस्त सम्भागीय आयुक्त
5. समस्त जिला कलेक्टर
6. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
7. समस्त संयुक्त निदेशक संबंधित जोन

प्रमुख शासन सचिव

कमरा न. 260, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान — 302 005

Tel [O]: +91 (141)2227851 Tel [R]: +91 (141) 2704646 Fax: +91 (141) 2227797